छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 545/2007</u>

1. **श्री अनिल कुमार तिवारी,** **साकिन–चांपा, तहसील–चांपा,** **जिला–जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़)**	–	*अपीलार्थी*

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** **कार्यालय नगर पालिका परिषद,** **जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़)**	–	*प्रति अपीलार्थी*

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 23 फरवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री अनिल कुमार तिवारी ने जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद, चांपा के समक्ष दिनांक 13.02.2007 को जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर उन्हें जानकारी प्राप्त नही होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील दिनांक 24.03.2007 को प्रस्तुत की गई और उक्त अपील पर भी कोई कार्यवाही नही होने से श्री तिवारी द्वारा दिनांक 01.06.2007 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में अपूर्ण जानकारी देने के कारण जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद, चांपा को दिनांक 26.11.2007 को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 07.02.2008 को प्रस्तुत किया गया । अपीलार्थी ने बाद में यह बताया कि उन्हें दिनांक 24.04.2007 को अपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है तथा जो जानकारी नही चाही गई वह दे दी गई और जो जानकारी चाही गई वह नही दी गई है । कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में भी केवल एक सुनवाई तिथि को उपस्थित नही होने के संबंध में कारण दिया गया और स्वयं के माह सितंबर, 2007 में जन सूचना अधिकारी बनने का कारण बताया गया है तथा तत्कालीन जन सूचना अधिकारी द्वारा चार्ज लिस्ट प्रदान नही करने का कारण बताया गया है । प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषप्रद नही माना जा सकता क्योंकि कारण बताओ सूचना पत्र में उन्हें निर्देश दिये गये थे कि वे अब पूर्ण जानकारी 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान करे और जन सूचना अधिकारी द्वारा उस आदेश का पूर्ण पालन नही किया गया है और अभी–तक शेष जानकारी प्रदान नही की गई है, अतः उक्त उत्तर को

संतोषप्रद नही मानते हुए श्री उमाशंकर बर्मन, जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद, चांपा पर दो हजार रूपये की शास्ति अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत आरोपित की जाती है । साथ ही यह भी अनुशंसा की जाती है कि अधिनियम की धारा-20(2) के अन्तर्गत श्री आर0सी0 तिवारी, तत्कालीन जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद, चांपा के विरूद्ध अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के लिए विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । प्रकरण में अपूर्ण एवं विलंब से जानकारी मिलने के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, चांपा की ओर से अपीलार्थी को राशि 400/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं । मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चांपा को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अब वे यह सुनिश्चित करे कि शेष रही जानकारी पूर्ण एवं सही रूप से अपीलार्थी को 15 दिवस में नि:शुल्क प्रदान की जावे, साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करे कि सूचना का अधिकार से संबंधित सभी आवेदन यदि चार्ज नही मिलने के कारण लंबित है तो अब इस बारे में आवश्यक जांच कर उन सभी में जानकारी तत्काल प्रदान करवाये और इस संबंध में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त